

Registration no: (2081107202172414181818) Date: (24-07-2021) Valid till: (24-7-2024)



सेवा में

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रदर्शक
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ०
शिक्षा केंद्र, 2 कम्पनीटी सेंटर ०

जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय | SUPAUL शिक्षा विभाग, विहार सरकार, पटना प्रमाण पत्र



विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education -RTE), 2009 की धारा 18 के प्रयोगनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावधी के नियम 11 के उपनियम के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्तीकृति का प्रमाण पत्र।

महासभा,

आपके आवेदन पत्र दिनांक, 24-07-2021 और उसके क्रम में आपसे किये गये प्रश्नावार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आतोक आपके विद्यालय KOSHI PUBLIC SCHOOL, 852138, कक्षा 1 से 8 तक संचालन हेतु तीन वर्ष 24-07-2021 से 24-7-2024 अवधि के सिए औपचारिक प्रस्तीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्तीकृति निम्न यार्टों के अनुपालन के अधीन होगी:

1. प्रस्तीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर भाव्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुत्तरक-1) तथा विहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावधी 2011 (अनुत्तरक-2) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने 3 करेगा। पढ़ोत्तर के कमज़ोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तभा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि पदि विद्यालय में पूर्ण प्रारंभिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन शूरू प्रारंभिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कठिका 3 में उद्दृष्ट बच्चों के मामले में विद्यालय की बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आतोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अतार दो दौँक रखता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेल खींच नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा उसके नामांकित या अधिभावक का स्फीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उद्दृष्ट प्रमाण यत्र के अनुपस्थिता नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इकाइ नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे। :

 - (i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।
 - (ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का खारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
 - (iii) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
 - (iv) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आतोक में प्रमाण यत्र प्रदान किया जाएगा।
 - (v) अधिनियम के प्रावधानों के आतोक से विकतांग / विद्येष आवश्यकता यासे बच्चों का समावेशन किया जाएगा।
 - (vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा में उनके लिए निर्धारित व्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा।
 - (vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्दृष्ट करेंगे।
 - (viii) शिक्षक नियोजित स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपद्धति का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आतोक में उपस्थिति के अनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्दृष्ट भानकों द्वारा भानदंडों पर वरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपस्थिति सुविधाओं का विवरण निम्नवतः

- (I) विद्यालय परिसर के प्रकाशन :- 87126
- (II) शुल्क निर्मित क्षेत्र :- 87126
- (III) खेल के मैदान के क्षेत्र :- STAGE, PLAY ITEMS, GARDEN
- (IV) वर्ष कक्षों की कुल संख्या :- 24
- (V) प्रधानाध्यापक-सह कार्यालय सह-भेड़ार कक्षा :- 13
- (VI) वास्तव तथा वासिकाओं के टिप्पे असम-असम शौचालय :- Indian, Boys :- 37, Girls 22
- (VII) पैदलगत की सुविधा :- 04
- (VIII) मध्याह्न भोजन के टिप्पे रसोई घर :- 1
- (IX) वाधारहित पट्टुँग,] :-
- (X) शिक्षण अधिगम सामग्री खेत-कुद उपकरण पुस्तकालय पुस्तकालय :- ?????????? ??? 1 ?????????? 2 ?????? ??? ?????? 3 ????? ??????????
- ??? ?????? ??? 4 ?????????? 5 ?????????? ??? 7777 6 ?????????? 7 ?????? ?????? 8 ??????????
- ????????????? 8 ??????????????, ??? 77777777 10 ??????? 7777, ?????? ?, ?????? ??? 1 ?????? 2 ??? ? 77777777
- ????? ?????? 3 ??? 4 ??? ??? 5 ?????? 7777 8 ?????????? ?? 77777 7 ??? ??? ? 7778 ?????? ?? 77778 ??????
- 19 ??? ?????? 11 ?????? 12 ?????????? ?? 77777777 13 ?? ?? 777777777777, (Y, 999, NewsPaper MagaZine:- 6)

11. कोई भी अपराधीकृत वर्षाका विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संबंधित नहीं होगा।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अपवाय मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा क्रीड़ा विकास के लिए होगा।
13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निर्वाचित सोसाईटी के हाथ अथवा किसी निर्धारित समय में सार्व कानून के तहत गठित किसी प्रतिक दूर्घट के लाधम से 13 संवादित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के ताप के लिए संवादित नहीं होगा।
15. सेखा का अकेलूण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउनेट के हाथ किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आधार में उपर्युक्त सेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक सेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिता शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी।
16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्तीक्षित कोड संख्या [2081107202172614181818, 2021] है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का प्रशासन करने में इस कोड को वंचित एवं उद्घृत किया जाए।
17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / जिता शिक्षा प्रदायिकारी के हाथ समय-समाप्त "मॉन्ट किल" गद प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के हाथ उपलब्ध कराई जाएगी और राज्य सरकार के स्तर प्रस्तीक्षित की शर्तों के सामान रूप से पूरा करने की सुनिष्ठता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपासन विद्यालय के हाथ किया जाएगा।
18. पदि सोसाईटी के निवास के नियंत्रण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
19. अनुत्तरक [] के रूप में संतुष्ट अन्य घरें

18/05/2021
विश्वास भाजन

हृ०/-
जिता कार्यक्रम प्रदायिकारी, SUPAUL
सह-सचिव प्रस्तीक्षीत समिति
शिक्षा विभाग, विहार सरकार

NOG LETTER

Bwala
Principal
Koshi Public School
Vishal Nagar Tharbitia
Shivpuri Maladhi
Kishanpur, Supaul

Pff
Manager
Koshi Public School
Vishal Nagar, Tharbitia
Shivpuri, Maladhi (Supaul)